लय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
मामचन्द बनाम कांता वगैरा

....

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2024	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष (प्रार्थी,अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.07.2024 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आराजी साबिक ख0 नं0 1505 रकबा 0.3500है0 वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा में विवादित आराजी पर मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 29.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(खैरथल–तिजारा)	
29/07/24	वकील प्रार्थी उप० इंतजार तलबी दिनांक को पेश हो।	9/9/24

9-9-24 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब स्था० अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 4-11-24 को पेश हो।

4/11/24 वकील प्रार्थी उप० वास्ते ऑर्डर इंतजार तलबी पत्रावली दिनांक 02/12/24 को पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

07/12/24 वकील प्रार्थी अप० वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 20/01/25 को पेश हो। [signature]

20/01/25 पत्रावली पेश हुई। पी.आ. साहब ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 17-3-25 को पेश हो।

स

17-3-25 पत्रावली मूलवाद के साथ पेश है। वादी/प्रार्थी का मूलवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अत: प्रार्थना पत्र 212 भी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र मिसल शुमार होकर सलग्न मूलवाद हो। [signature]